कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड देहरादून

आयुक्त राज्य कर मुख्यालय, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, नत्थनपुर, देहरादून

पत्रांक/९५१२ /आयु0रा0क0उत्तरा0/लो0सू0अनु0/2023–24/दे0दून/दि0२१/03/2024

श्री नदीम उद्दीन,
(राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता),
कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग,
अल्लीखां,
काशीपुर –244713

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रेषित अपने अनुरोध पत्र संख्या 1658 दिनांक 16.02.2024 का सन्दर्भ लें, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.02.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें आप द्वारा बिन्दु सं0–3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में वांछित सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। उक्त के क्रम में सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:–

बिन्दु सं0–3.1 एवं 3.2 के संबंध में राज्य कर मुख्यालय के विधि–अनुभाग, के पत्रांक 9158 दिनांक 16.03.2024 द्वारा सूचना कुल 04 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गयी है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं0–3.3 एवं 3.5 के संबंध में राज्य कर मुख्यालय के आई0टी–अनुभाग, के पत्रांक 9391 दिनांक 21.03.2024 द्वारा उक्त बिन्दु –3.1 एवं 3.2 अनुसार सूचना कुल 04 पृष्ठों में उपलब्ध करायी गयी है, जिनकी सत्यापित प्रतियॉ उक्तानुसार संलग्न है । साथ ही उनके द्वारा विभागीय वैबसाइट पर सम्बन्धित सूचना का लिंक भी दिया गया है जो निम्न प्रकार है:– www.gst.uk.gov.in/Notification.aspx

सम्बन्धित सूचना Circular no. 4840 के अन्तर्गत उक्त लिंक पर उपलब्ध है।(पत्र की प्रति संलग्न)

बिन्दु सं0–3.4 के संबंध में राज्य कर मुख्यालय के स्थापना–अनुभाग(राजपत्रित), के पत्रांक 8851 दिनांक 04.03.2024 द्वारा अवगत कराया गया है, कि **"बिन्दु सं0–3.4 में चाही गयी सूचना इस अनुभाग से सम्बन्धित अभिलेखों में धारित नहीं है।"**

यदि आप उपरोक्त सूचना से असन्तुष्ट हों तो, आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर **प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार), अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, देहरादून,** जिनका पता निम्नवत है, के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं:–

अपीलीय अधिकारी का पता :–

श्री बी.एस. नगन्याल,
अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय/
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी (सूचना का अधिकार),
जोगीवाला, मसूरी बाईपास रोड़, नत्थनपुर (पुलिया नं0–6) देहरादून।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(प्रीति मनराल)
उपायुक्त/लोक सूचना अधिकारी,
राज्य कर मुख्यालय, देहरादून।
मो0 7055602712

9298/2022

पत्रांकः 4840 /आयु0रा0कर उत्तराखंड/ जी0एस0टी0-अनुभाग/विविध/देहरादून

कार्यालय आयुक्त राज्य कर उत्तराखंड
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः17 नवम्बर, 2022

सयुंक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन)
राज्य कर उत्तराखण्ड।

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अन्तर्गत समन जारी किये जाने के संबंध में क्षेत्र अधिकारियों में स्पष्टता तथा एकरूपता का अभाव है।

2. उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 70(1) के अनुसार उचित अधिकारी, किसी व्यक्ति जिसकी उपस्थिति किसी जांच में साक्ष्य देने या दस्तावेज या कोई अन्य वस्तु प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक है, को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट अनुसार समन जारी कर सकता है। धारा 70(2) के अनुसार ऐसे दस्तावेज तथा मौखिक साक्ष्य को प्रस्तुत करने हेतु समन जारी करना भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही (Judicial Proceeding) समझी जायेगी।

3. समन करापवंचन ज्ञात किये जाने हेतु सूचना या दस्तावेज या बयान लिए जाने/प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है किन्तु समन जारी करते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण और सम्यक विचार करते हुए किया जाना चाहिए। जहाँ कर प्राधिकारियों को यह प्रतीत होता हो कि समन जारी किये जाने की अपेक्षा अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त की जा सकती है, वहाँ ऐसे विधिक उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही की जानी उचित है।

4. इस क्रम में उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत समन जारी किये जाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नवत जारी किये जा रहे हैं-

(i) समन जारी करने की शक्ति का प्रयोग इस हेतु विनिर्दिष्ट उचित अधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त तथा राज्य कर अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

(ii) समन जारी किये जाने की कार्यवाही को पत्रावली पर अभिलिखित किया जाएगा। उस व्यक्ति, जिसको समन किया गया था, की उपस्थिति/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पत्रावली में अंकन किया जाएगा और बयान, यदि लिया गया है, की एक प्रति भी पत्रावली पर रक्षित करनी होगी।

(iii) यदि अपराधी के नाम का प्रकटीकरण जाँच के लिए अहितकर न हो तो समन पर सामान्यतया उस/उन अपराधी/अपराधियों (offenders) के नाम अंकित किये जाने चाहिए, जिनके विरुद्ध जांच की जा रही है ताकि समन के प्राप्तिकर्ता को प्रथमदृष्टया यह जानकारी हो जाये कि उनको अपराधी, सहअपराधी या गवाह में से किस रूप में बुलाया गया है।

(iv) जीएसटी पोर्टल पर डिजिटली/आनलाइन उपलब्ध वैधानिक दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु समन जारी करने से बचना चाहिए।

(v) किसी कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उच्चाधिकारियों जैसे CMD/MD/CEO/CFO/इसी स्तर के अन्य अधिकारियों, जो कंपनी/उपक्रम के प्रबंधन से सम्बंधित है, को मात्र तभी समन जारी करना चाहिए जब जाँच में यह स्पष्ट संकेत हो कि जिस निर्णय से राजस्व क्षति हुई हो ऐसा निर्णय लेने में वह सम्मिलित रहे हो।

(vi) समन में निर्धारित दिनांक व समय पर समन के जारीकर्ता अधिकारी को उपस्थित होना चाहिए। अनुपस्थिति की दशा में, जिस व्यक्ति को समन जारी किया गया है, उसे अग्रिम रुप से लिखित या मौखिक रुप से सूचित किया जाना चाहिए ।

(viii) ऐसी महिला, जो परंपरा स्वरुप सार्वजनिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकती हो अथवा विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्ति, जिनको समन किया गया है, सम्बन्धित अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होने के लिए बाध्य है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 और धारा 133 के अधीन ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त छूट-को-मामले की जांच के समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(ix) समन की तामीली सुनिश्चित किये बिना बार-बार समन जारी नहीं करना चाहिए । ऐसे मामलों, जिनमें बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी सम्बंधित व्यक्ति जांच में शामिल नही होता है, में सामान्यत: उचित अन्तराल पर तीन बार समन जारी करने के उपरान्त समन की कार्यवाही के भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही (Judicial Proceeding) होने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 172 (समन की तामीली या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार) और/या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश की आज्ञाकारिता में उपस्थित न होना) के अंतर्गत अपराध कारित किये जाने के आधार पर क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जानी चाहिए ।

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून

9298/2022

मजिस्ट्रेट के सम्मुख शिकायत करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 169 के अनुसार सम्बन्धित व्यक्ति को समन की तामीली उचित रुप से हो गयी हो। तथापि यह कार्यवाही उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 70 के अधीन अग्रेत्तर पुनः समन जारी करने में बाधक नही है।

(x) समन का प्रारूप संलग्न है।

उपर्युक्त दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों के मध्य अनुपालनार्थ प्रसारित किये जाने के निर्देश दिए जाते हैं।

संलग्नक: प्रारूप।

Signed by Ahmed Iqbal
Date: 09-11-2022 20:23:05

(डॉ अहमद इकबाल)
आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0/ 4840 **/ दिनांक:: उक्तवत।**

प्रतिलिपि:

1. अपर आयुक्त (वि0वे0) राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून को सूचनार्थ।
3. जोनल एडिशनल कमिश्नर राज्य कर हरिद्वार/ रूद्रपुर को आवश्यक पर्यवेक्षण व कार्यवाही हेतु।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

(रंजीत सिंह नेगी)
सहायक आयुक्त राज्य कर
मुख्यालय, देहरादून